

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक), माध्यमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन), प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन, नृत्य) तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) एवं प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन) के लिए पात्रता परीक्षा - 2023 परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका

ऑनलाइन आवेदन-पत्र			
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि :	30/01/2023	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि :	13/02/2023
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि :	30/01/2023	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि :	18/02/2023
परीक्षा दिनांक व दिन	25/04/2023, मंगलवार से प्रारम्भ		
मण्डल का परीक्षा शुल्क (अ) - प्रति प्रश्न पत्र		विभागीय शुल्क (ब) (स्कूल शिक्षा विभाग) प्रति प्रश्न पत्र	कुल (अ+ब) प्रति प्रश्न पत्र
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु 500/- प्रति प्रश्न पत्र	रु 100/- प्रति प्रश्न पत्र	रु 600/- प्रति प्रश्न पत्र
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र	रु. 50/- प्रति प्रश्न पत्र	रु. 300/- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाइन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।			
नोट:- म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 03.01.2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु "विभागीय शुल्क(ब)" बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जावेगा ।			

आनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
25/04/2023, मंगलवार से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:30 बजे तक (2:30 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपः 02:00 से 4:30 बजे तक (2:30 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई.(UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

कार्यालय आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र./यूसीआर/2022/सी/252/2090, दिनांक 11/11/2022, पत्र क्र./यूसीआर/2022-2023/सी/252/2169, दिनांक 05/12/2022, पत्र क्र./यूसीआर/सी/2022/252/2234, दिनांक 13/12/2022 एवं पत्र क्र./यूसीआर/2022/2291, दिनांक 23/12/2022 तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्र. 2065 /1013268/2022/1/26, दिनांक 12/12/2022, कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र./शिक्षा स्था.2/940/2022/25154, दिनांक 14/12/2022 एवं पत्र क्र./शिक्षा स्था.3/882/2022/25715, दिनांक 20/12/2022 के अनुसार :-

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक), माध्यमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन), प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन, नृत्य) तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) एवं प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन) के लिए पात्रता परीक्षा - 2023 परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1(1)	माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) (पद कोड 01) पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम (स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग)	03-15
2.	1(2)	माध्यमिक शिक्षक - खेल (पद कोड 02) पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम (स्कूल शिक्षा विभाग)	16-22
3.	1(3)	माध्यमिक शिक्षक संगीत-गायन वादन (पद कोड 03) पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम (स्कूल शिक्षा विभाग)	23-27
4.	2(1)	प्राथमिक शिक्षक खेल (पद कोड 04) पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम (स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग)	28-33
5.	2(2)	प्राथमिक शिक्षक संगीत-गायन वादन (पद कोड 05) पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम (स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग)	34-38
6.	2(3)	प्राथमिक शिक्षक - नृत्य (पद कोड 06) पात्रता परीक्षा के विभागीय नियम व पाठ्यक्रम (स्कूल शिक्षा विभाग)	39-43
7.	3	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के परीक्षा संचालन नियम	44-55
8.	प्रारूप-1	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	56

अध्याय - 1(1)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) - पद कोड 01 पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम

माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) : मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय कार्य विभाग (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी -

1. पद का विवरण- माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक)
2. पद की श्रेणी - तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
4. परीक्षा केन्द्र - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
5. शैक्षणिक अर्हता :-

संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष
अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. या बी.ए.एड./ बी.एससी.एड.)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

नोट:- आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

- (3) संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड/डीएड/डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।

6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-

पदनाम	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक)	50%	60%

7. स्पष्टीकरण-

- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
 - दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात् वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।
 - शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी | शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा | नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्निदिष्ट की जाएगी।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा | किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
 - ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किन्तु उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी | ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी |
 - विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।
 - माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 में उल्लेखित अनुसार संबंधित विषय में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा।
8. परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

9. पदों का वेतन :-

पदों का विवरण	वेतन
माध्यमिक शिक्षक	न्यूनतम वेतन रुपये 32800 + महगाई भत्ता । भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा।

10. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3.1.2020 अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/ एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण

आयुक्त
जनजातीय कार्य

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम- माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक)

1. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे ।
2. पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे होगी।
3. पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।
5. प्रश्नपत्र के दो भाग होंगे। भाग अ एवं भाग ब । भाग अ, सभी के लिए अनिवार्य होगा भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा ।
6. भाग अ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	सामान्य हिन्दी	08 MCQ	08 Marks
(ii)	सामान्य अंग्रेजी	05 MCQ	05 Marks
(iii)	सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता	07 MCQ	07 Marks
(iv)	शिक्षाशास्त्र(Pedagogy)	10 MCQ	10 Marks
	कुल	30 MCQ	30 Marks

7. भाग ब- 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्नपत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नपत्रके अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

क्र.	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1	हिन्दी भाषा	120प्रश्न	120 अंक
2	अंग्रेजी भाषा	120प्रश्न	120 अंक
3	संस्कृत भाषा	120प्रश्न	120 अंक
4	उर्दू भाषा	120प्रश्न	120 अंक
5	गणित	120प्रश्न	120 अंक
6	विज्ञान	120प्रश्न	120 अंक
7	सामाजिक विज्ञान	120प्रश्न	120 अंक

8. विषयवस्तु का स्तर

- प्रश्नपत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसायिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागाजी की विषयवस्तु का स्तर हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा । हिन्दी व अंग्रेजी की विषयवस्तु का स्तर हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा।
- प्रश्नपत्र के भाग ब की विषयवस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्नपत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषयवस्तु पर आधारित होंगे लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता (लिकेज) स्नातक स्तर का होगा । प्रश्नपत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागाजी की समझ पर आधारित होंगे।

आयुक्त
लोक शिक्षण

आयुक्त
जनजातीय कार्य

हिन्दी भाषा (Hindi Language)	8 प्रश्न
------------------------------	----------

भाषायी समझ अवबोध-

भाषायी समझ/अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी/घटना/निबंध/कहानी/आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएं। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (English Language)	5 प्रश्न
----------------------------------	----------

1. Reading Comprehension

- Two short passages followed by short answer type questions.

2. Vocabulary - (Level-X standard)

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms phrases
- idioms/proverbs

3. Functional Grammar : - (Level-X standard)

- Articles
- Modals
- Determiners
- Noun/ Pronoun
- Adjective/Adverb
- Narration
- Prepositions
- Tenses
- Transformation of sentences
- Voices

सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता	7 प्रश्न
--	----------

सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम (General Knowledge & Current Affairs) समसामयिक मामले/राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि भारतीय राजनीति व शासन तंत्र-संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायतीराज, सार्वजनिक मूद्दे, धाराएं व अधिकार आदि। आर्थिक व सामाजिक विकास - सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैवविविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मूद्दे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्यप्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति। मध्यप्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास।

Current Affairs/events of national and international Importance, History of India and Indian National Movements, Indian and World Geography- Physical, Social, Economic geography of India and the World etc. Indian Polity and Governance Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Issues, Articles, Rights etc. Economic and Social development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives etc- General issues on Environment, Ecology, Biodiversity, Climate change, General science- Indian culture, national and international, sports, History, geography, and political science of Madhya Pradesh, economic and social development of Madhya Pradesh.

2. तार्किक एवं आंकिक योग्यता Reasoning and Numerical Ability

अ. तार्किक योग्यता- सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक/तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदान्क्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग व डिकोडिंग,स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखलाव पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो।

ब. आंकिक योग्यता दो एवं तीन आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान (संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम आदि), अंकगणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या (आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, आदि), विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या ।

A) Reasoning Ability - General Mental/ Analytical Ability, Verbal / Logical reasoning, Relations & Hierarchies, Analogies, Assertion, Truth Statements, Coding & Decoding, Situational Reasoning, Series & Patterns involving words & Alphabets.

B) Numerical ability – Two and Three dimensional/ Venn diagrams based questions, number patterns series sequences, basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude etc.), Arithmetic aptitude data interpretation (Charts, Graphs or Tables data sufficiency etc.), Direction sense, Analysis and interpretation in various contexts.

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र -

10 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोह्लर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)

अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी)

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा । बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ
- अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान
- अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालक: पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।
- बाल अपराध: कारण एवं प्रकार

गणित (Mathematics)	120 प्रश्न
--------------------	------------

(अ) विषयवस्तु (content)

1. संख्या पद्धति-

- प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक की पहचान एवं समझ यूक्ति विभाजन प्रमेयिका
- परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएँ, अपरिमेय संख्याएं
- घातांक एवं परिमेय घातांको के लिए घातांक के नियमों का अनुप्रयोग
- बहुपद एवं परिमेय व्यंजक

2. बीजगणित-

- बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएँ

- अनुपात समानुपात, एकिक नियम, प्रतिशत, अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज
 - अनुपात समानुपात, किस्त, लघुगणक
 - एक चर राशि का एक घातीय समीकरण
 - दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि
3. ज्यामिति-
 - मूल ज्यामितीय अवधारणाएँ क्षेत्रफल
 - त्रिभुज के गुणधर्म, पाइथागोरस प्रमेय
 - कोण
 - सममिति की अवधारणा
 - वृत्त
 - समरूप त्रिभुज
 4. त्रिकोणमिति
 - s त्रिकोणमिति का परिचय एवं अनुप्रयोग
 5. रचनाएँ-
 - त्रिभुज की रचना रेखाखंड का विभाजन
 - चतुर्भुज की रचना
 6. क्षेत्रमिति-
 - आयाताकार पथ का क्षेत्रफल
 - पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन
 - वृत्त का क्षेत्रफल द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ
 7. सांख्यिकी
 - दण्ड आलेख
 - आयात चित्र
 - माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना
 - आवृत्ति संचयी आवृत्ति वृत्त चित्र, आवृत्ति बहुभुज खीचना
 8. ब्रह्माण्ड
 9. मापन- समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन द्रव्यमान का मापन।
 10. पदार्थ-पदार्थ की अवस्थाएँ, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ, धातु-अधातु, अणु परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण
 11. बल, गति एवं दाब
 12. कार्य ऊर्जा और मशीन
 13. ताप एवं उष्मा
- ब) Pedagogical issues
- गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास
 - पाठ्यक्रम में गणित का स्थान
 - गणित की भाषा
 - प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।
 - मूल्यांकन की नवीन विधियाँ तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास।

विज्ञान (science)	120 प्रश्न
-------------------	------------

(अ) विषयवस्तु (content)

1. ब्रह्माण्ड
2. मापन- समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन द्रव्यमान का मापन
3. पदार्थ पदार्थ की अवस्थाएँ, पदार्थ के गुण, पदार्थों की पृथक्करण की विधियाँ, धातु-अधातु, अणु परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण
4. भोजन एवं स्वास्थ्य- भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन
5. सजीव जगत- वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रियाएँ अनुकूलन, जैव उत्पत्ति मानव शरीर विज्ञान, शरीर क्रियात्मकता कोशिका, संरचना एवं कई अनुवांशिक तथा विकास

6. बल, गति एवं दाब
7. कार्य ऊर्जा और मशीन
8. ताप एवं उष्मा
9. हमारे आसपास का वातावरण भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कार्बन-अपररूप, हाइड्रोकार्बन
10. प्राकृतिक घटनाएँ- प्रकाश, ध्वनि
11. वस्तुएँ कैसे काम करती हैं- चुम्बक, विद्युत एवं विद्युत धारा
12. प्राकृतिक संसाधन
13. खाद्य उत्पादन और प्रबंधन
14. पर्यावरण

ब) Pedagogical issues

- विज्ञान के उद्देश्य
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ।
- महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धान्तों से अवगत कराना।
- विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना।
- अवलोकन, प्रयोग करना, खोज।
- विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना।
- प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।
- मूल्यांकन की नवीन विधियों तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास।

सामाजिक विज्ञान (Social Science)	120 प्रश्न
----------------------------------	------------

(अ) विषयवस्तु

- इतिहास
- इतिहास जानने के स्रोत, आदिमानव का विकास व पाषाणकाल हडप्पा व वैदिककालीन सभ्यता, जैन व बौद्ध धर्म मौर्य, गुप्त व हर्षकाल, विदेशों से सम्पर्क व भारत के संबंध तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव।
- मध्यस्थतः का प्रारम्भ व इतिहास जानने के संगीत, मौहम्मद गौरी व मुहम्मद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत- खिलजी वंश, तुगलक वंश व लोदी वंश के संदर्भ में, सल्तनतकालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति। मुगलकाल का संक्षिप्त परिचय (प्रमुख शासक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन तथा संगीत, चित्रकला व वास्तुकला) मुगलकाल का पतनः । विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य मराठा व सिक्ख शक्ति का उदय ।
- भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन, सत्ता के लिए उनके आपसी संघर्ष ब्रिटिश कम्पनी की सफलता व साम्राज्य विस्तार, 1857 का स्वतंत्रता संग्रामा धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण भारतीय राष्ट्रीय कार्यस की स्थापना, उद्देश्य संघर्ष व महत्व, उदारवाद एवं अनूदारवाद, राष्ट्रीय आन्दोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रांतिकारियों का योगदाना स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजना स्वतंत्रता आन्दोलन में.प्र. का योगदान।
- स्वातंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाए- कामौर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत में आपातकाल, भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय
- नागरिक शास्त्र
- परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण व नगरीय संस्थाए)
- भारतीय संविधान विशेषताएँ नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग संघीय व्यवस्थापिका लोकसभा, राज्य सभा, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रि परिषद सर्वोच्च व उच्च न्यायालय गठन शक्तियाँ, (कार्य राज्य सरकार राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद निर्वाचन आयोग कार्य एवं शक्तियाँ निर्वाचन की क्रिया।
- प्रजातंत्र कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य
- प्रजातंत्र की प्रमुख चर्चातिया निरक्षरता, सम्प्रदायवाद क्षेत्रवाद बेरोजगारी आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण भारत की विदेश नीति व पड़ोसी देशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान
- भूगोल
- सौरमंडल, अक्षांश व देशान्तर रेखाएं, ग्लोब व मानचित्र
- स्थलमंडल पृथ्वी की गतियाँ ऋतु परिवर्तन परिवर्तनकारी बाह्य व आन्तरिक शक्तियाँ व उनके कार्य। मृदा संरक्षण
- वायुमंडल वायुमंडल का संगठन, वायुदाब ।

- जलमंडल लहरे, धाराएं ज्वार-भाटा, वर्षा प्रमुख महासागर |
- भारत स्थिति विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, खनिज एवं उद्योग शक्ति संसाधन प्रमुख फसले, परिवहन के साधन, जनसंख्या व उसका वितरण।
- समस्त महाद्वीप अक्षांशीय व देशान्तरीय विस्तार धरातलीय संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु, खनिज एवं उद्योग शक्ति संसाधन, प्रमुख फसले, परिवहन के साधन, प्रमुख देशा पर्यावरण प्रदूषण के कारण व उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट व उसका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन
- अर्थशास्त्र

आर्थिक विकास, भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियाँ आर्थिक प्रणाली एवं वैश्वीकरण मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली ।

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं भारत का कृषि विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण।

- (व) शिक्षाशास्त्रीय मूद्दे-
- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा
- कक्षागत प्रक्रियाएँ गतिविधियों एवं परिचर्चा।
- विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास।

मुख्य भाषा हिन्दी (Hindi)

120 प्रश्न

(अ) भाषायी समझ / अवबोध-

1. वाक्य बोध/ भाषा बोध-

- विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग
- वाक्य रचना शब्द वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन वाक्य के प्रकार (रचना, अर्थ, वाच्य के आधार पर), वाक्य बोध।
- म्हावरे लोकोक्तियाँ और उनका वाक्यों में प्रयोग बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा

2. काव्य बोध-

- काव्य परिभाषा, काव्य भेद (प्रबंधकाव्य. मुक्तककाव्य), काव्य गूण
- शब्द शक्ति
- छंद- मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, कृण्डलिया, घनाक्षरी, मन्दाक्रांता, छप्पय, कवित्त, सवैया (मत्तगयंद दूर्मिल)
- अलंकार- यमक, श्लेष, व्याजस्तुति, ब्याजनिन्दा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अपहृती।
- रस परिचय, अंग, रसभेद ।

3. अपठित बोध-

गद्यांश/पद्यांश (शीर्षक, व्याख्या, सारांश)

4. निबंध लेखन-

सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक समस्याओं, विचारात्मक, भावात्मक, ललित विषयों पर निबंध लेखन।

5. पत्र लेखन-

औपचारिक, अनौपचारिक, सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु एवं सम्पादक के नाम पत्र

6. हिन्दी साहित्य-

हिन्दी काव्य (पद्य) और उसका विकास

- पद्य साहित्य का विकास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय (रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष)
- आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नईकविता का सामान्य परिचय सहित कवियों का साहित्यिक परिचय (रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष, कलापक्ष)

7. हिन्दी गद्य और उसका विकास

- गद्य साहित्य की विविध विधाएं (निबंध, नाटक, कहानी) और उनका सामान्य परिचय लेखक परिचय (रचनाएं, भाषाशैली)
- ((ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र
- भाषा सीखना और ग्रहणशीलता
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं • मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण

A) Understanding of Language

1. Reading Comprehension

- Two passages (Factual+ Literary/Discursive) of 200 words each followed by short answer type questions.
- A poem of about 15 lines followed by short questions related to figures of speech, forms of poetry.
- Interpret tabular and diagrammatic presentation of information.

2. Vocabulary

• One word substitution

- Opposites
- Synonyms
- phrases
- idioms/proverbs
- word formation

3. Functional Grammar:

1. Tenses
2. Modals
3. Determiners
4. Articles
5. Voices
6. Narration
7. Prepositions
8. Clauses
9. Transformation of sentences

4. Writing

- A factual description (in about 40-50 words) of any event or incident e.g. a report or a process based on given input/advertisements and notices/designing or drafting posters.
- Essay.
- Writing letter/application based on given inputs. Letter types include:
 1. business or official letters
 2. letters to editors
 3. personal/informal letters
 4. application for a job

B) Pedagogy of Language Development

B.1 – Learning and acquisition - Need for Learning English - Objectives of teaching English - Qualities of a good language teacher - Methods and approaches (Grammar translation, Direct, bilingual, communicative, structural, integrated)

B.2 – Language skills - Listening, Speaking, Reading and Writing skills - Importance of listening and reading - Importance of speaking and writing

B.3 – Perspective and role of grammar in language learning - Parts of Speech - Punctuation marks - Framing questions - Vocabulary and word formation (synonym and antonym, homophones, one word substitution, changing word category).

B.4 – Challenges of teaching language - Planning and implementation (Teaching of Prose, grammar, composition, poetry)

B.5 – Evaluation - learning enhancement programme - Active learning Methodology - CCE - Remedial teaching

B.6 – Teaching learning materials - Textbook preparing exercises based on the textbooks - Multimedia materials (charts, flash cards, models, news paper cuttings, CD, Radio, Tape recorder)

(अ) भाषायी समझ / अवबोध

1. व्याकरण

(क) शब्द रूप- राम, कवि, भान्, लता, पितृ, नदी, वधू, मातृ, फल, वारि, आत्मन् ।
सर्व, तद्, एतद् यत् इदम् अस्मद् यष्मद्

(ख) धातु रूप- लट्, लृ, लोट्, लड्., एवं विधिलिङ्. (पांच लकार)

(का) परस्मैपद (ख) आत्मनेपद

(ग) सन्धि- संधि और उसके प्रकार स्वर सचि व्यंजन संधि, विसर्ग संधि एवं उनके भेद, संधि विच्छेद एवं संधि युक्त पद बनाना।

(घ) समास- समास की परिभाषा, भेद, समास विग्रह, सामासिक पद ।

(ङ) प्रत्यय- कृत प्रत्यय- (क्त्वा, ल्यप्, त्मन्, क्त, क्तवत् शत्, शानच् तव्यत्अनीयर)।

(च) तदित प्रत्यय- अण, ढक् मत्प् इत् तल, ठकास्त्री प्रत्यय- टापू, डीप

(छ) अव्यय -- पुनः, अपि, पूरा, अधूना, हयः श्वः, अदय, अधूना, क्त्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, यदा कदा, सर्वदा, उपरि, यथा, तथा अपि

2. संस्कृत निबंध लेखन एवं अनौपचारिक पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन ।

3. (क) वेद, वेदांग, प्राण, उपनिषद् का सामान्य परिचय।

(ख) रामायण एवं महाभारत का सामान्य परिचय।

4. संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय (भास, कालिदास, शूद्रक एवं भवभूति की कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान)

5. कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय।

6. हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अन्वाद करना।

7. संस्कृत अपठित गद्य एवं अपठित पद्य का हिन्दी अन्वाद एवं पाठ्यांश पर आधारित विविध प्रकार के प्रश्न एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, विशेषणविशेष्य अन्विति/पर्याय/ विलोम शब्द ।

(ब) भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षाशास्त्र

- आषा सीखना और ग्रहणशीलता।
- भाषा शिक्षण के सिद्धान्त।
- भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं।
- मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका।
- भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता ।
- भाषा के चारों कौशल (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) का मूल्यांकन
- कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार (दृश्य एवं श्रव्य) सामग्री, बहुकक्षा स्रोत
- मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण।

मुख्य भाषा उर्दू (Urdu)

120 प्रश्न

1. भाषायी समझ

- गद्य (नसर) की विधाएं
- मकतूब निगारी, दास्तान, अदबी तारीख, मुख्तसिर अफसानें, रिपोरताज, इन्शाईया, तन्जो - मजाह, सफर नामा, खाका।
- म्आविन म्ताला- यादें, आपबीती मजमून, कहावतें

2. पद्य (नज्में)

- गजले (मसनवी, कसीदा, मरसिया नज्मे रुबाई तवील नज्मे अली सरदार जाफरी की वक्त का तराना)

3. व्याकरण (कवायद)

हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, हरकात व सकनात, रमूज औकाफ, साबके लाहके, सिफत, तजाद, तजाहूले आरिफाना, हरके अतफ मजाज म्रसिल, कहावते, म्हावरे वाक्य में प्रयोग, तजनीस (ताम, जायद नाकिस) कनाया, लफ व नशर ।

4. निबंध लेखन (मजमून)

5. पत्र / प्रार्थना पत्र (खत व दरख्वास्त)

6. गैर दरसी इकतिवास (अपठित) की तशरीह व उस पर आधारित प्रश्न

7. उर्दू साहित्य का इतिहास (गद्य व पद्य का विकास)

भाषायी विकास हेतु निर्धारित शिक्षाशास्त्र व पढ़ाने के तरीकों पर प्रश्न


- उर्दू शिक्षण की आवश्यकता व उद्देश्य
- अच्छे उर्दू शिक्षक की विशेषताएं
- भाषा शिक्षण के सिद्धांत
- तरीका-ए-तदरीस, नम्र व नज्म की विभिन्न विधाओं का (असनाफ़) शिक्षण
- ए उर्दू सीखना और समझना (सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना चारों महारते
- उर्दू भाषा की चारों महारतों का मूल्यांकन

- भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की अहमियत, बच्चों के ज़रिए उर्दू भाषा का प्रयोग
 - ज़बानी और तहरीरी (लेखन) में कवायद का इस्तेमाल
 - क्लासरूम में तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों को जबान सिखाने में आने वाल
 - म्शकिलात दूर करके गलतियों को चूनौती की तरह लेकर पढ़ना सिखाना
 - क्लास में किताब, अमदादी अशिया, मल्टीमीडिया मटेरियल समई-बसरी आलात व विभिन् स्तर व कक्षा के बच्चों को पढ़ाना
 - खूसीसी तदरीस (विशेष प्नः शिक्षण)
 - कवायद (ग्रामर) :- इस्म, जमीर, जमीर की किस्में, फेअल फेअल की अकसाम, जिस, जम जूमला सिफत, तज़ाद, साविका, लाहेका, वाहिद जमा म्जक्कर, मोअन्नस, म्हावरे ब लाज़िम म्तअददी, मारूफ मजहूल गजल, कतआ, रुबाई, मसनवी, नज़्म, तशबीह, तल इस्तिआरा, सनअते तजाद मतला, मकता, रदीफ़, काफिया वगैरा।
 - गैर दस इक्तिबास
 - दरख्वास्त और खुतूत नवीसी मजमून नवीसी ।
-

परिशिष्ट 1
माध्यमिक शिक्षक
विषयों की सूची

विषय	विवरण
गणित,	गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
विज्ञान	विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी, बायो टेक्नालॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स में से किन्ही दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना
सामाजिक विज्ञान,	सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
हिन्दी,	हिन्दी, के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
अंग्रेजी,	अंग्रेजी, के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
संस्कृत,	संस्कृत, के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
उर्दू	उर्दू, के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर उर्दू विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

नोट –स्नातक उपाधि, निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा।


 (अभय वर्मा)
 आयुक्त
 लोक शिक्षण, म.प्र.

अध्याय - 1(2)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल - पद कोड 02 पात्रता परीक्षा संबंधी नियम

माध्यमिक शिक्षक खेल

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी :-

1. पद का विवरण - माध्यमिक शिक्षक खेल
 2. पद की श्रेणी - तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
 3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
 4. परीक्षा केन्द्र - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
 5. शैक्षणिक योग्यता :-
 - शारीरिक शिक्षा में 50% अंको के साथ स्नातक (बी.पी.एड./ बी.पी.ई.) अथवा उसके समकक्ष
- नोट: आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
माध्यमिक शिक्षक खेल	50%	60%

7. स्पष्टीकरण -
 - अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
 - दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी।
 - शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी | शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा | नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन

की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।

- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किन्तु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।

8. परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

9. पदों का वेतन

पदों का विवरण	वेतन
माध्यमिक शिक्षक खेल	न्यूनतम वेतन रुपये 32800+ महगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा।

10. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3.1.2020 अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/ एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम - माध्यमिक शिक्षक खेल

1- परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

2- पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 02:30 घंटे होगी।

3- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

4- पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एकविकल्प सही होगा।

परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)- Compulsory	15 MCQ	15 Marks
(ii)	भाषा-1 (Language-I) (हिन्दी, Hindi / संस्कृत Sanskrit में से कोई एक)	10 MCQ	10 Marks
(iii)	भाषा-2 (Language-II) अंग्रेजी English	5 MCQ	5 Marks
(iv)	शारीरिक शिक्षा	120 MCQ	120 Marks

प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निम्नानुसार होगा-

(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 11-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

(ii) भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

(iii) भाषा-2, के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

(iv) विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न विषय की अवधारणा, इत्यादि की समझ पर आधारित होंगे।

उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है-

विस्तृत पाठ्यक्रम

(अ) बाल विकास

15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)

(ब) समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ

- अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान ।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालक: पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।

बाल अपराध: कारण एवं प्रकार

(स) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागॉजी)

बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।

- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएँ, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकत्ती और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएँ, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति

हिन्दी भाषा (Hindi Language) /संस्कृत(Sanskrit Language)	10 प्रश्न
--	-----------

भाषायी समझ अवबोध-

भाषायी समझ / अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी / घटना/ निबंध / कहानी / आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (English Language)	5 प्रश्न
----------------------------------	----------

1. Reading Comprehension

- Two short passages followed by short answer type questions.

2. Vocabulary (Level-X standard)

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms phrases
- idioms/proverbs

3. Functional Grammar: (Level-X standard)

- Articles
- Modals
- Determiners
- Noun/ Pronoun
- Adjective/Adverb
- Narration
- Prepositions
- Tenses
- Transformation of sentences
- Voices

शारीरिक शिक्षा	120 प्रश्न
----------------	------------

1. शारीरिक शिक्षा का इतिहास -

- शारीरिक शिक्षा का अर्थ,परिभाषा एवं क्षेत्र
- शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य
- वर्तमान परिदृश्य में शारीरिक शिक्षा का महत्व।
- शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा के मध्य संबंध।

2) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त -

- शारीरिक शिक्षा की उन्नति एवं विकास।
- आयु एवं लिंग विशेषताएँ।
- मानवशास्त्री अन्तर।
- सीखने के प्रकार एवं सिखने की अवस्था।

- सीखने के नियम एवं सिद्धान्त।
- समाज एवं संस्कृति।

3) एनाटॉमी एण्ड फिजियोलॉजी -

- शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शरीर रचना और विज्ञान।
- कोशिका एवं ट्यूब्यूल का संक्षिप्त परिचय।
- कंकाल का परिचय, कंकाल में लिंग अंतर।
- मांसपेशियों के प्रकार।
- रक्त और संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ तंत्रिका तंत्र, इंद्रिय अंग।

4) शरीर क्रिया विज्ञान -

- शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा और शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में इसका महत्व।
- कंकाल की मांसपेशियों की संरचना, गुण और कार्य।
- पेशीय गतिविधि का तंत्रिका नियंत्रण -
 1. न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन।
 2. तंत्रिका आवेग का संचरण।
- मांसपेशियों की गतिविधि के लिए ईंधन एवं आक्सीजन की भूमिका।

5) ओलम्पिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलम्पिक खेल -

- ओलम्पिक आंदोलन का दर्शन।
- ओलम्पिक आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास।
- आधुनिक ओलम्पिक आंदोलन के विकास में महत्त्वपूर्ण चरण।
- ओलम्पिक आंदोलन के शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य।
- ओलम्पिक आदर्श, ओलंपिक रिंग, ओलंपिक ध्वज का महत्व।
- सदस्य देशों के लिए ओलम्पिक प्रोटोकॉल, ओलम्पिक आचार संहिता, ओलम्पिक में कार्यवाही।
- पैरा ओलम्पिक खेल, ग्रीष्म कॉलीन ओलम्पिक, शीतकालीन ओलम्पिक, युवा ओलम्पिक खेल।

6) खेल कोचिंग का परिचय -

- खेल कोचिंग की अवधारणा, महत्व एवं सिद्धांत।
- अधिकारी और कोच का प्रबंधन व खिलाड़ी और दर्शक के साथ संबंध।
- अंपायरिंग और कोचिंग के मानकों में सुधार के उपाय।
- सामान्य तौर पर खेल के दौरान और बाद कोच के कर्तव्य।
- कोचिंग का दर्शन।
- मैदान के अंदर और बाहर एक कोच की जिम्मेदारियाँ।
- प्रतियोगिता और कोचिंग का मनोविज्ञान।
- कोच और अधिकारी की योग्यता।
- खेल और खेल के सामान्य नियम।

7) योग शिक्षा -

- योग का अर्थ और परिभाषा, योग के उद्देश्य।
- प्रारंभिक उपनिषदों में योग, योग सूत्र- सामान्य विचार।
- शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में योग की आवश्यकता और महत्व।
- अष्टांग योग- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान।
- योग की भगवत गीता - कर्मयोग, राजयोग, जनना योग और भक्ति योग।
- आसन और प्राणायाम का शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर प्रभाव।
- शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के विशेष संदर्भ में आसनों का वर्गीकरण।
- शरीर की विभिन्न प्रणालियों पर आराम, ध्यान, मुद्रा का प्रभाव।
- बंध और मुद्रा के प्रकार।
- क्रिया के प्रकार।
- योग में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान।
- योगाभ्यास और शारीरिक व्यायाम के बीच अंतर।
- भारत और विदेशों में योग शिक्षा केन्द्र।
- योगासन प्रतिस्पर्धा।

8) शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन

- शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन का अर्थ और महत्व।
- शारीरिक शिक्षाशिक्षक और छात्र नेता की योग्यता और जिम्मेदारियाँ
- योजना और उनके मूल सिद्धांत।
- कार्यक्रम नियोजन,नियंत्रण, मूल्यांकन और नवाचार।

9) सुविधाएँ और समय -सारणी प्रबंधन-

- सुविधाएँ और उपकरण प्रबंधन - सुविधाओं के प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर (इनडोर,आउटडोर)।
- स्कूल भवन की देखभाल, व्यायाम शाला, स्विमिंगपूल, खेल के मैदान।
- उपकरण - आवश्यकता, महत्व, खरीद, देखभाल और रखरखाव।
- समय सारणी प्रबंधन - अर्थ, आवश्यकता, महत्व और समय-सारणी को प्रभावित करने वाले कारक।

10) प्रतियोगिता संगठन -

- टूर्नामेंट का महत्व।
- टूर्नामेंट के प्रकार और इसकी संगठन संरचना - नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट।
- एथलेटिक मीट की संगठनात्मक संरचना।
- स्पोर्ट्स इवेंट इंटराम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट प्लानिंग।

11) व्यायाम कार्यक्रम के सिद्धांत -

- फिटनेस विकास के साधन - एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम।
- विभिन्न एरोबिक व्यायाम तीव्रता के लिए व्यायाम और हृदय गति क्षेत्र।
- फ्री वेट बनाम मशीन की अवधारणा।
- विभिन्न आयु वर्ग के लिए अलग-अलग फिटनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की अवधारणा।

12) सुरक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन -

- दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा।
- प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन।
- देखभाल सामान्य चोटें और उनका प्रबंधन।
- आधुनिक जीवनशैली और हाइपो-काइनेटिक रोग, रोकथाम और प्रबंधन।

13) खेल पोषण का परिचय -

- खेल पोषण का अर्थ और परिभाषा, बुनियादी पोषण दिशा निर्देश, खेल में पोषण की भूमिका, पोषण योजना विकसित करने के लिए विचार करने योग्य कारक।
- पोषण तत्व: उर्जा चयापचय में अंतर्ग्रहण।
- वजन प्रबंधन का अर्थ आधुनिक युग में वजन प्रबंधन की अवधारणा।
- बी.एम.आई (बॉडी मास इंडेक्स) की अवधारणा।
- पोषण - दैनिक कैलोरी सेवन और व्यय।
- भारतीय स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार, स्वास्थ्य जीवनशैली बनाए रखना।
- खेलने वाले बच्चे के लिए वजन प्रबंधन कार्यक्रम, वजन प्रबंधन में आहार और व्यायाम की भूमिका, वजन बढ़ाने और घटाने के लिए डिजाइन आहार योजना और व्यायाम कार्यक्रम।

14) खेल प्रशिक्षण का परिचय-

- खेल प्रशिक्षण का अर्थ,परिभाषा, उद्देश्य एवं सिद्धांत।
- प्रशिक्षण घटक - शक्ति, गति,सहनशक्ति,समन्वय एवं लचीलापन ।
- प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं तकनीकी प्रशिक्षण ।
- प्रशिक्षण प्रोग्रामिंग और योजना।

15) खेल चिकित्सा भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास

- खेल चिकित्सा - अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, अवधारणाएँ।
- एथलीटों की देखभाल और पुनर्वास।
- शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में खेल चोटों के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व ।
- खेलकूद में चोटों की रोकथाम।
- प्राथमिक उपचार - उपचार, घाव, फफोले, चोट,खिचांव, मोच, फैंक्चर।
- फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एवं चिकित्सीय व्यायाम।

16) शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और डोपिंग

- भारतीय युवा फिटनेस टेस्ट।
- नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट।
- इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट।

- जेसीआर परीक्षण।
- अमेरिकी सेना शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण।
- विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी।

17) खेल कौशल परीक्षण -

- ईलोकहार्ट और मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट।
- जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट।
- मैकडॉनल्ड्स सॉकर टेस्ट।
- साई वॉलीबॉल टेस्ट।
- साई हॉकी टेस्ट।

18) खेल और खेल का सिद्धान्त

विशिष्ट खेल और खेलों का सामान्य परिचय-

- एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैडबॉल, कबड्डी, खो- खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, योगा, तैराकी एवं जूडो।

19) खेल प्रबंधन

- खेल एवं खेल प्रबंधन की प्रकृति और अवधारणा।
- प्रबंधन का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र।
- खेल प्रबंधन के आवश्यककौशल।
- खेल प्रबंधक के लिए आवश्यक योग्यताएँ और दक्षताएँ।
- शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में इन्वेट मैनेजमेंट।
- स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खेल प्रबंधन।
- योजना को प्रभावित करने वाले कारक।
- स्कूल या कॉलेज के खेल कार्यक्रम की योजना बनाना।
- स्कूल या कॉलेज के खेल कार्यक्रम का निर्देशन।
- स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के खेल कार्यक्रम को नियंत्रित करना।

आयुक्त
लोक शिक्षण

अध्याय - 1(3)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन - पद कोड 03 पात्रता परीक्षा संबंधी नियम

माध्यमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी :-

1. पद का विवरण- माध्यमिक शिक्षक संगीत - गायनवादन
2. पद की श्रेणी- तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
4. परीक्षा केन्द्र - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
5. शैक्षणिक योग्यता :-
 - i. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.म्यूज/एम.म्यूज/विद्/कोविद्/रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।

नोट: आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
माध्यमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन	50%	60%

7. स्पष्टीकरण-
 - अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
 - दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
 - शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी।
 - शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक /व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किन्तु उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।

8. परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

9. पदों का वेतन

पदों का विवरण	वेतन
माध्यमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन	न्यूनतम वेतन रुपये 32800+ महगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा।

10. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षाविभाग के पत्र क्र. एफ1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3.1.2020 अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/ एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम- माध्यमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन

1- परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

2- पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.30 घंटे होगी।

3- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

4- पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।

परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
(i)	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)- Compulsory	15 MCQ	15 Marks
(ii)	भाषा-1 (Language-I) (हिन्दी, Hindi/ संस्कृत Sanskrit में से कोई एक)	10 MCQ	10 Marks
(iii)	भाषा-2 (Language-II) अंग्रेजी English	5 MCQ	5 Marks
(iv)	गायन वादन	120 MCQ	120 Marks

प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निम्नानुसार होगा-

(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

(ii) भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

(iii) भाषा-2, के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

(iv) विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न विषय की अवधारणा, इत्यादि की समझ पर आधारित होंगे।

उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है-

विस्तृत पाठ्यक्रम

(अ) बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र - 15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोह्लर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)

अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागॉजी)

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकत्ती और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम

- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ
- अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान ।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालक: पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।

बाल अपराध: कारण एवं प्रकार

हिन्दी भाषा (Hindi Language) /संस्कृत (Sanskrit Language)	10 प्रश्न
---	-----------

भाषायी समझ अवबोध-

भाषायी समझ / अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी / घटना/ निबंध / कहानी / आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (English Language)	5 प्रश्न
----------------------------------	----------

1. Reading Comprehension

- Two short passages followed by short answer type questions.

2. Vocabulary

(Level-X standard)

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms phrases
- idioms/proverbs

3. Functional Grammar:

(Level-X standard)

- Articles
- Modals
- Determiners
- Noun/ Pronoun
- Adjective/Adverb
- Narration
- Prepositions
- Tenses
- Transformation of sentences
- Voices

गायन वादन	120 प्रश्न
-----------	------------

1. वाद्ययंत्रों का साधारण ज्ञान।
2. वाद्य पर रागों में मध्य लय की रचना / गत का (स्थायी, अंतरा सहित) वादन।
3. वाद्य का संक्षिप्त परिचय एवं उसके विभिन्न अवयवों की जानकारी ।
4. विभिन्न रागों में मध्यलय रचना अथवा रजाखानी गत का भातखण्डे स्वरलिपि में लेखन।
 - दो रागों में विलम्बित ख्याल गायन। मसीतखानी गत का आलाप तानों एवं तोड़ो सहित
 - प्रत्येक राग में मध्यलय रचना (ख्याल गायन), रजाखानी गत का आलाप एवं पाँच तानों एवं तोड़ों
 - राग में ध्रुपद (दुगनु और चौगुन सहित) एक तराना तथा एक भजन अथवा अपने वाद्य पर तीनताल से पृथक अन्य किसी ताल में मध्यलय की रचना
5. आकाशवाणी द्वारा मान्य वन्दे मातरम् तथा देशभक्ति गीत का स्वरलय में गायन।
6. मानों के प्रकार तान व तोड़ो की परिभाषा तथा तान एवं तोड़ो में अंतर।
7. पूर्वरग, उत्तर राग, सन्धिप्रकाश एवं परमले प्रवेशक रागों की संक्षिप्त जानकारी।

8. पं. भातखण्डे स्वरलिपि तथा ताल लिपि एवं पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी की स्वरलिपि पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन।
9. गायक अथवा वादक (तंत्री वादक/सुषिर वादक) के गुण दोषों का परिचय।
10. स्वामी हरिदास, राजा मानसिंह तोमर, संगीत सम्राट तानसेन तथा अमीर खुसरो का जीवन परिचय एवं उनका सांगीतिक योगदान।
11. निम्नलिखित रागों का शास्त्रीय परिचय:- बिहाग, केदार, हमीर बागेश्री, भीमपलासी, जौनपरी, भैरवी एवं तोड़ी।
12. चौताल, तीव्रा, तिलवाडा, दीपचन्दी, झूमरा, आडाचौताल और धमार के ठेकों का ठाह, दुगुन एवं चौगुन लयों में ताललिपि में लिखना।
13. ध्वनि (सांगीतिक ध्वनि और शोर) नाद और उसके प्रकार, नाद की तीव्रता तारता गुण कालमान कंपन आवृत्ति कम्पविस्तार डोल उपस्वर।
14. सेमीटोन, माईनर टोन, मेजर टोन का परिचय।
15. डायटोनिक स्केल, नेचुरल स्केल, टेम्पर्ड स्केल का सामान्य अध्ययन।
16. हिन्दुस्तानी व कनार्टक सप्तकों का अध्ययन। ग्रह आदि दस राग लक्षणों का परिचय।
17. राग विस्तार में वादी, संवादी अनुवादी एवं विवादी अल्पत्व, बहुत्व एवं न्यास स्वरों का महत्व।
18. गमक के लक्षण एवं प्रकारों का अध्ययन।
19. भारतीय मतानुसार वाद्य वर्गीकरण का सामान्य परिचय। तानपुरा और वाद्य के परीक्षार्थियों के लिये अपने-अपने वाद्य का संक्षिप्त ऐतहासिक अध्ययन।
20. सदारंग-अदारंग, गोपाल नायक, भास्कर बुआ बखले, उस्ताद अब्दुल करीम खॉ, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खॉ, उस्ताद हाफिज अली खॉ, पं. राजा भैया पूछवाले का जीवन परिचय एवं उनका सांगीतिक योगदान।
21. पाठ्यक्रम के रागों में एक-एक विलम्बित गत अथवा एक मसीतखानी गत अथवा मध्यलय अथवा रजाखानी गत (आलाप तथा तानों / तोड़ों सहित)।
22. मींड, सूत (अनुलोम-विलोम) मुर्की, खटका, घसीट, जमजमा, कृन्तन, गमक, झाला, तोड़ो आविर्भाव, तिरोभाव की सामान्य जानकारी। गायन के संदर्भ में आलाप, नोम-तोम का आलाप तथा बोल आलाप एवं स्वर वाद्य के संदर्भ में आलाप, जोड़, झाला का अध्ययन। गायन-वादन में प्रचलित आलापचारी की जानकारी।
23. निम्नलिखित तालों को बोल एवं ताल चिन्ह के साथ ठाह, तिगुन और चौगुन में लेखन। तीनताल, एकताल चौताल, झपताल, धमार, सूलताल, रूपक, तीव्रा, तिलवाडा, दीपचन्दी, झूमरा एवं आडाचौताल।
24. संगीत से संबंधित विविध विषय
25. गंधर्व गान एवं मार्ग-देशी का सामान्य परिचय।
26. रागों में एक-एक विलम्बित गत अथवा मसीतखानी गत (आलाप, तानों तोड़ो सहित) तथा एक मध्यलय अथवा रजाखानी गत (आलाप, तानों, तोड़ो सहित) का लेखन।
27. आड, कुआड एवं बिआड की परिभाषा व परिचय।

आयुक्त
लोक शिक्षण

अध्याय - 2(1)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत

प्राथमिक शिक्षक खेल - पद कोड 04

पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम

प्राथमिक शिक्षक खेल : मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी :-

1. पद का विवरण - प्राथमिक शिक्षक खेल
2. पद की श्रेणी - तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
4. परीक्षा केन्द्र - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
5. शैक्षणिक योग्यता :-

- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ बी पी एड /बी पी ई/ इसके समकक्ष

नोट: आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
प्राथमिक शिक्षक खेल	50%	60%

7. स्पष्टीकरण -

- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
- दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी।
- शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्निदिष्ट की जाएगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन

की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी | ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी |

- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किन्तु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी | ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी |
- विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।

8. परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

9. पदों का वेतन -

पदों का विवरण	वेतन
प्राथमिक शिक्षक खेल	न्यूनतम वेतन रुपये 25300 + महगाई भत्ता परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा।

10. म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3.1.2020 अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/ एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण

आयुक्त
जनजातीय कार्य

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम- प्राथमिक शिक्षक खेल

1- परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

2- पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 02:30 घंटे होगी।

3- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

4- पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
I.	बालविकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy)- Compulsory	15 MCQ	15 Marks
II.	भाषा-1(Language-1)(हिन्दी,Hindi/संस्कृत Sanskrit में से कोई एक)	10 MCQ	10 Marks
III.	भाषा-2 (Language –II) अंग्रेजी English	05 MCQ	05 Marks
IV.	शारीरिक शिक्षा	120 MCQ	120 Marks

प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निम्नानुसार होगा-

- बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।
- भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।
- भाषा-2, के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।
- विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न विषय की अवधारणा, इत्यादि की समझ पर आधारित होंगे।

उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है-

विस्तृत पाठ्यक्रम

(अ) बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र - 15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागॉजी)
- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकत्ती और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा । बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय

- निर्देशन एवं परामर्श
 - अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति
 - समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ
 - अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान ।
 - अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
 - प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्ताओं की पहचान।
 - समस्याग्रस्त बालक: पहचान एवं निदानात्मक पक्ष।
- बाल अपराध: कारण एवं प्रकार

हिन्दी भाषा (Hindi Language)/ संस्कृत (Sanskrit Language)	10 प्रश्न
--	-----------

भाषायी समझ अवबोध-

भाषायी समझ / अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी / घटना/ निबंध / कहानी / आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएं। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (English Language)	05 प्रश्न
----------------------------------	-----------

1. Reading Comprehension

- Two short passages followed by short answer type questions.

2. Vocabulary (Level-X standard)

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms phrases
- idioms/proverbs

3. Functional Grammar: (Level-X standard)

- Articles
- Modals
- Determiners
- Noun/ Pronoun
- Adjective/Adverb
- Narration
- Prepositions
- Tenses
- Transformation of sentences
- Voices

शारीरिक शिक्षा	120 प्रश्न
----------------	------------

1. शारीरिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास -

- भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास।
- माध्यमिक शिक्षा एवं मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड।
- स्काउटिंग गाइडिंग, एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेडक्रॉस।
- राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान।
- अखिल भारतीय खेल परिषद।
- शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी।
- ओलंपिक खेल।
- शारीरिक शिक्षा और खेल संघ ।
- शारीरिक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश।

2. शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान -

- मनोविज्ञान.इसका अर्थ प्रकृति, स्रोत परिभाषा और महत्व शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में।
- मानसिक प्रक्रिया.मन और शरीर।

- सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियां.उद्देश्य आवश्यकता ड्राइव सहानुभूति सीमा सुझाव खेल शिक्षा में खेल और जन्मजात प्रवृत्तियों का उत्थान।
- विकास के चरण.शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक।
- अनुशासन और व्यवहार.विकास इकाइयों के उत्पाद, सेमी.प्लेक्सस, सेंटीमेंट्स और कैरेक्टर।
- आनुवंशिकता और पर्यावरण।
- सीखने के सिद्धांत सीखने की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक।
- स्मृति इसका सुधार, कुशल प्रशिक्षण।
- व्यक्तिगत मतभेद।
- समूह का मनोविज्ञान।
- अभिप्रेरणा.अर्थ, प्रकार, शारीरिक शिक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिकागतिविधियां।
- व्यक्तित्व.अर्थ, स्वभाव, व्यक्तित्व का विकास।

3.शारीरिक शिक्षा की विधियाँ -

- शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, दायरा एवं महत्व ।
- वर्गीकरण, शारीरिक गतिविधियों, वर्गीकरण के तरीके, ग्रेड टेबल एवं पाठ योजना।
- प्रतियोगिता का संगठन और संचालन, खेल प्रतियोगितायें एवं उनके प्रकार।
- शारीरिक गतिविधियाँ, कैलिस्थेनिक्स खेल और खेल सिखाने की विधियाँ, एथलेटिक्स, तैराकी, लोक नृत्य और स्वदेशी गतिविधियां।
- खेल गतिविधियों की व्यक्तिगत तैयारी, तकनीकी तैयारी के चरण एवं कमांड।
- कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत.पाठ योजना, पाठ योजना के प्रकार।
- ट्रैक और फील्ड और अन्य खेल मैदानों का निर्माण तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
- प्रोत्साहन, पुरस्कार, पत्र निर्माण, सम्मान बोर्ड, ट्राफियां और प्रमाण पत्र।
- नेतृत्व और पर्यवेक्षण।

4. एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी

- सामान्य . मानव शरीर का परिचय, उत्पत्ति जीवन, पुरुषों, कोशिकाओं का एक विकासवादी अनुकूलन ऊतक, अंग और प्रणाली।
- साधारण कंकाल संरचनाओं का सामान्य विवरण औरहड्डियों के कार्य, हड्डियों के प्रकार, जोड़ संरचना, किस्में और चाल या जोड़, आसन और उनका महत्व, कंकाल प्रणाली।
- पेशी तंत्र पेशी की संरचना का सामान्य विवरण मांसपेशियों का कार्यात्मक वर्गीकरण और इसका महत्व, मांसपेशियों पर व्यायाम का प्रभाव, आकार, ताकत, सहनशक्ति, और चालन थकान, इसके कारण और उपाय।
- हृदय.संरचना और इसके कार्य धमनियां और कोशिकाएं, उनके कार्य एवं प्रभाव, संचार प्रणाली का व्यायाम। रक्त . इसके घटक, कार्य, थक्के, संचार प्रणाली और रक्तचाप।
- श्वसन प्रणाली श्वसन अंग, उनकी संरचना और कार्य, श्वसन का तंत्र सामान्य गहरा और जबरन श्वसन, गैसों का आदान.प्रदान, श्वसन पर नियमित शारीरिक गतिविधियों का प्रभावसिस्टम, ऑक्सीजन की गहराई,
- पाचन तंत्र अंगों का सामान्य विवरण, पाचनभोजन का अवशोषण और आत्मसात, पाचन तंत्र पर प्रभाव व्यायाम, उपापचय।
- उत्सर्जन प्रणाली के विशेष संदर्भ में उत्सर्जन के अंग-गुर्दा, त्वचा और फेफड़े तापमान विनियमन उत्सर्जन प्रणाली पर व्यायाम का प्रभाव।
- तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी का सामान्य विवरण कॉर्ड, नर्वस और न्यूरो मस्कुलर को.ऑर्डिनेशन, रेगेक्स क्रिया।
- प्रजनन प्रणाली पुरुष, महिला संरचना और कार्य सामान्य बीमारी।

5 संगठन , प्रशासन और शारीरिक शिक्षा का पर्यवेक्षण -

- परिभाषा ,महत्व ,उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत।
- संगठन की योजना राष्ट्रीय खेल संघ , नेशनल केडिट कोर एवं स्कूल स्पोर्ट्स।
- जिमनेशियम, तैराकी की सुविधाएं, पूल निर्माण और देखभाल खेल के मैदान।
- उपकरण,आवश्यकता,खरीद एवं रखरखाव।
- व्यावसायिक तैयारी. छात्र समस्या एवं शिक्षक प्रशिक्षण।
- रिकार्ड और रजिस्टर का संधारण , उपस्थिति एवं स्वास्थ्य परीक्षण।
- बजट और वित्त.बजट की तैयारी, प्रशासन, भुगतान के लिए व्यय प्रपत्र और दिनचर्या के नियम
- प्रविष्टियां, लेखा और लेखा परीक्षण ।
- कार्यालय प्रबंधन.अभिलेखों का रखरखाव, कार्यालय पत्राचार और रिपोर्ट भरना।
- नेतृत्व विकास तथा विद्यार्थियों में अनुशासन एवं खेल भावना का विकास।

6 परीक्षण एवं मापन -

- परीक्षण का अर्थ, मापन एवं मूल्यांकन। शारीरिक शिक्षा में परीक्षण और मापन तथा मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व।
- सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व।
- डेटा का अर्थ और प्रकार।
- केंद्रीय प्रवृत्ति के माप.अर्थ, आवृत्ति तालिका से उपयोग और गणना।
- परिवर्तनशीलता, माप, उपयोग और गणना के उपाय।
- डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, अर्थ, उपयोग एवं तकनीक।

7 स्वास्थ्य शिक्षा , सामान्य खेल चोटें और उनका पुनर्वास -

- स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा, आवश्यकताएँ और महत्व।
- स्कूल स्वास्थ्य की अवधारणा, आयाम और निर्धारक शिक्षा कार्यक्रम।
- शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका।
- स्वास्थ्य निर्देश और मार्गदर्शन।
- स्वच्छता, संतुलित आहार ,पोषण, आराम, नींद, रोग से मुक्ति एवं शरीर की देखभाल
- मनोरंजन और व्यायाम, नशीले पदार्थों और दवाओं के प्रभाव
- संक्रामक रोग.उनके कारण और रोकथाम।

आयुक्त
लोक शिक्षण

आयुक्त
जनजातीय कार्य

अध्याय – 2(2)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत

प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन) - पद कोड 05

पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम

प्राथमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन : मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी :-

1. पद का विवरण- प्राथमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन
 2. पद की श्रेणी - तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
 3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
 4. परीक्षा केन्द्र-कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
 5. शैक्षणिक योग्यता :-
 - i. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन/वादन में डिप्लोमा अथवा बी.म्यूज/एम.म्यूज/विद्/कोविद्/रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।
- नोट: आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
प्राथमिक शिक्षक संगीत- गायन वादन	50%	60%

7. स्पष्टीकरण-

- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
- दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी।
- शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किन्तु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।

8- परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

9- पदों का वेतन -

पदों का विवरण	वेतन
प्राथमिक शिक्षक संगीत - गायन वादन	न्यूनतम वेतन रुपये 25300 + मंहगाई भत्ता परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा।

10. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3.1.2020 अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/ एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण

आयुक्त
जनजातीय कार्य

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम- प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन)

1- परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

2- पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 02:30 घंटे होगी।

3- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

4- पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।

परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
I. बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy) - Compulsory	15 MCQ	15 Marks
II. भाषा-1(Language-1)(हिन्दीHindi / संस्कृत Sanskrit में से कोई एक)	10 MCQ	10 Marks
III. भाषा-2(Language-2)अंग्रेजी English	05 MCQ	05 Marks
IV. गायन वादन	120 MCQ	120 Marks

प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature And Standard of Questions) निम्नानुसार होगा-

- बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 6-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।
- भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।
- भाषा-2, के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।
- विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न विषय की अवधारणा, इत्यादि की समझ पर आधारित होंगे।

उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है- विस्तृत पाठ्यक्रम

(अ) बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र - 15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पावलव, कोहलर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा । बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागॉजी)
- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।

- समस्या समाधानकत्ती और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति
- समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ
- अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान ।
- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगतकर्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालक: पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।

बाल अपराध: कारण एवं प्रकार

हिन्दी भाषा(Hindi Language)/ संस्कृत(Sanskrit Language)	10 प्रश्न
--	-----------

भाषायी समझ अवबोध- भाषायी समझ / अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी / घटना/ निबंध / कहानी / आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा(English Language)	05 प्रश्न
---------------------------------	-----------

1. Reading Comprehension

- Two Short Passages Followed by Short answer type questions.

2. Vocabulary (Level –X standard)

- One word Substitution
- Opposites
- Synonyms Phrases
- Idioms/proverbs

3. Functional Grammar: (Level –X standard)

- Articles
- Modals
- Determiners
- Noun/Pronoun
- Adjective/Adverb
- Narration
- Prepositions
- Tenses
- Transformation of sentence
- Voices

गायन वादन	120 प्रश्न
-----------	------------

- संगीत की परिभाषा व सामान्य परिचय
- स्वर (शुद्ध, विकृत,) सप्तक (मंद्र,मध्य,तार,) थाट, वर्ण, अलंकार (पल्टा), आरोह-अवरोह,पकड व राग की परिभाषाएँ।
- सरल अलंकारों का ज्ञान।
- त्रिताल, दादरा एवंकहरवा तालो का परिचय एवं विज्ञान
- भातखण्डे स्वरलिपि एवं ताल चिन्हों का ज्ञान।
- संगीत शब्द की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, संगीत की पद्धतियाँ (उत्तर भारतीय एवं कनार्टक) की जानकारी। संगीत के प्रकारों (षास्त्रीय,भाव,चित्रपट एवं लोक संगीत आदि) का परिचय।
- हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के दस थाटों के नाम एवं उनके स्वरों की जानकारी।

- थाट और राग का तुलनात्मक अध्ययन। आश्रय रागों की संक्षिप्त जानकारी। निम्नलिखित रागों का शास्त्रीय विवरण-राग यमन, भैरव, भूपाली, खमाज, काफी।
- लय (विलम्बित, मध्य, द्रुत,) मात्रा, विभाग, खाली, भरी, सम एवं आवर्तन की जानकारी।
- त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा और झपताल तालों का शास्त्रीय परिचय एवं उनका ताललिपि में लेखन। (दुगुन के साथ)
- पं. भातखण्डे जी की स्वरलिपि पद्धति का सामान्य ज्ञान।
- वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, मींड, सूत, घसीट, आंदोलन, कण, बोल-आलाप, तान, बोल-तान।
- राग की जाति (आडैव, षाडव, सम्पूर्ण) का सामान्य परिचय।
- ध्वनि, नाद एवं श्रुति की परिभाषा, 22 श्रुतियों का नाम एवं उनमें शुद्ध विकृत 12 स्वरों की स्थापना।
- गीत के अवयव (स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग)
- ध्रुपद, धमास, ख्याल, तराना, लक्षणगीत, सरगम (स्वरमालिका) मसीतखानी एवं रजाखानी गतों की संक्षिप्त जानकारी।
- पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर एवं पं. विष्णु नारायण भातखण्डे की संक्षिप्त जीवनी एवं सांगीतिक योगदान।
- निम्नलिखित रागों का शास्त्रीय परिचय:- आसावरी, अल्हैया बिलावल, दुर्गा, (बिलावल थाट) वृंदावनी सारंग, देस एवं तिलक कामोद।
- ताल के दुगुन एवं चौगुन लय की सामान्य जानकारी।
- निबद्ध एवं अनिबद्ध गान की सामान्य जानकारी एवं अनिबद्ध के अंतर्गत रागालापित और रूपकालापित के भेद-प्रभेदों का अध्ययन।
- भरत के श्रुति निदर्शन की चतुःसारणा का परिचय।
- वीणा के तार पर पं. अहोबल द्वारा शुद्ध-विकृत स्वरों की स्थापना और पं. श्रीनिवास द्वारा उनका स्पष्टीकरण।
- थाट राग वर्गीकरण का सामान्य परिचय। शुद्ध, छायालग एवं संकीर्ण रागों का वर्गीकरण समय-सिद्धान्त के अनुसार रागों का वर्गीकरण।
- गणितानुसार हिन्दुस्तानी संगीत के 32 और कनार्टक संगीत के 72 मेलों की निर्माण विधि स्वरों की संख्या के आधार पर एक थाट से 484 राग बनाने की विधि।
- जीवनियाँ एवं सांगीतिक योगदान:- उस्ताद फैयाज खाँ, उस्ताद बडे गुलाम अली खाँ, पं. ओमकारनाथ ठाकुर, पं. रविशंकर, उ. बिस्मिल्लाह खाँ।

आयुक्त
लोक शिक्षण

आयुक्त
जनजातीय कार्य

अध्याय - 2(3)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नृत्य - पद कोड 06 पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम

प्राथमिक शिक्षक - नृत्य

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी :-

1. पद का विवरण - प्राथमिक शिक्षक - नृत्य
2. पद की श्रेणी- तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
4. परीक्षा केन्द्र- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
5. शैक्षणिक योग्यता
 - 1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.म्यूज नृत्य/एम.म्यूज नृत्य/नृत्य में विद/कोविद/रत्न में पत्रोपाधि या बी.म्यूज नृत्य के समकक्ष ।

नोट: आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-

पदनाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
प्राथमिक शिक्षक - नृत्य	50%	60%

7. स्पष्टीकरण-

- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
- दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी।
- शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी | शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा | नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्निदिष्ट की जाएगी।

- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं किन्तु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नहीं है तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी।
- विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।

8- परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।

9- पदों का वेतन

पदों का विवरण	वेतन
प्राथमिक शिक्षक नृत्य	न्यूनतम वेतन रुपये 25300+मंहगाई भत्ता भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा।

10. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3.1.2020 अनुसार विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से रुपये 100/ एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से रुपये 50/- कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किये जाये एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जावेगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण

परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम - प्राथमिक शिक्षक - नृत्य

1- परीक्षा योजना (Scheme of Exam)

2- पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 02:30 घंटे होगी।

3- प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

4- पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।

परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content) निम्नानुसार होगी-

भाग	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1	बालविकास एवं शिक्षाशास्त्र (Child Development & Pedagogy) - Compulsory	15 MCQ	15 Marks
2	भाषा-1(Language -1)(हिन्दी, Hindi/संस्कृत Sanskrit में से कोई एक)	10 MCQ	10 Marks
3	भाषा-2 (Language -II) अंग्रेजी English	5 MCQ	5 Marks
4	नृत्य	120 MCQ	120 Marks

प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर (Nature and Standard of Questions) निम्नानुसार होगा-

(i) बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र के प्रश्न 11-14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे।

(ii) भाषा-1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता (Proficiency) पर आधारित होंगे।

(iii) भाषा-2, के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे।

(iv) विषय ज्ञान से संबंधित प्रश्न विषय की अवधारणा, इत्यादि की समझ पर आधारित होंगे।

उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम निम्नानुसार है- विस्तृत पाठ्यक्रम

(अ) बाल विकास एवं अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागॉजी)- 15 प्रश्न

- बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ।
- विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक ।
- बाल विकास के सिद्धांत।
- बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं।
- वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव।
- समाजीकरण प्रक्रियाएं सामाजिक जगत एवं बच्चे (शिक्षक, अभिभावक, साथी)
- पियाजे, पाव्लव, कोह्लर और थार्नडाइक: रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप।
- बाल केन्द्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा ।
- बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि।
- व्यक्तित्व और उसका मापन।
- भाषा और विचार।
- सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंगभेद और शैक्षिक प्रथाएं।
- अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ ।
- अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन: स्वरूप और प्रथाएं (मान्यताएं)

(ब) समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान ।

- अधिगम कठिनाइयों, 'क्षति' आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान ।
- प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्त्ताओं की पहचान।
- समस्याग्रस्त बालक: पहचान एवं निदानात्मक पक्ष ।

बाल अपराध: कारण एवं प्रकार

(स) अधिगम और शिक्षा शास्त्र (पेडागाजी)

- बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएँ, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ।
- समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक- अन्वेषक के रूप में बच्चा । बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएँ, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अवधान और रुचि ।
- संज्ञान और संवेग
- अभिप्रेरणा और अधिगम
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय
- निर्देशन एवं परामर्श
- अभिक्षमता और उसका मापन) स्मृति और विस्मृति

हिन्दी भाषा (Hindi Language)/संस्कृत (Sanskrit Language)
--

10 प्रश्न

भाषायी समझ अवबोध-

भाषायी समझ / अवबोध के लिए दो अपठित दिए जाएँ जिसमें एक गद्यांश (नाटक एकांकी / घटना/ निबंध / कहानी / आदि से) तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो । इस अपठित में से समझ / अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएँ। गद्यांश साहित्यिक/वैज्ञानिक/ सामाजिक समरसता/ तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा (English Language)

5 प्रश्न

1. Reading Comprehension

- Two short passages followed by short answer type questions.

2. Vocabulary (Level-X standard)

- One word substitution
- Opposites
- Synonyms phrases
- idioms/proverbs

3. Functional Grammar : (Level-X standard)

- Articles
- Modals
- Determiners
- Noun/Pronoun
- Adjective/Adverb
- Narration
- Prepositions
- Teases
- Transformation of sentences
- Voices

नृत्य (Dance)

120 प्रश्न

1. संगीत की परिभाषा।
2. नृत्य कला सीखने से लाभ।
3. तत्कार की परिभाषा।
4. त्रिताल (16-मात्रा), दादरा (6-मात्रा) एवंकहरवा (8-मात्रा) कोठाह, दुगुन में लिपिबद्ध करना व पढ़न्त।
5. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की जानकारी।

- मात्रा, विभाग, ताली, खाली, सम, आवर्तन, ठेका, ठाह, दुगुन, तिगुन एवं चौगुन।
6. अभिनय दर्पण के अनुसार चार प्रकार के "ग्रीवाभेदों" का परिचयात्मक ज्ञान।
 7. कहरवा (8-मात्रा), एवं त्रिताल (16-मात्रा), की 'ठाह', दुगुन, एवं 'चौगुन' में लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
 8. ताल त्रिताल में सादे तोड़े लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
 9. अभिनय दर्पण के अनुसार दस असंयुक्त हस्तमुद्राओं के नाम।
 10. अभिनय दर्पण के अनुसार नृत्य के उद्गम की कहानी।
 11. संगीत की परिभाषा एवं उसमें नृत्य का स्थान।
 12. निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा:-
तत्कार, हस्तक, ताल, आवर्तन, ठाठ।
 13. लय के प्रकार-विलम्बित, मध्य और द्रुत की जानकारी।
 14. अभिनय दर्पण के अनुसार शिरो भेद का ज्ञान।
 15. स्व. पं. कालिका प्रसाद, स्व. श्री बिन्दादीन महाराज की जीवनी एवं कथक नृत्य में इनका योगदान।
 16. तालदादरा (6-मात्रा), कहरवा (8-मात्रा), ताल के ठेकों का ज्ञान एवं तीन ताल में नृत्य के बोलों को लिपिबद्ध करने की क्षमता।
 17. अभिनय दर्पण के अनुसार असंयुक्त हस्त-मुद्राएं (11 से 25 तक) का विनियोग सहित विवरण।
 18. ताण्डव एवं लास्य का परिचयात्मक ज्ञान।
 19. 'अभिनय' की परिभाषा एवं प्रकारों की संक्षिप्त जानकारी।
 20. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान।
आमद, तोड़ा, टुकड़ा, परन, कवित्त, गतनिकास एवं गतभाव।
 21. अभिनय दर्पण के अनुसार दृष्टिभेदों का ज्ञान।
 22. अभिनय दर्पण के अनुसार 23 असंयुक्तहस्तों का लक्षण एवं विनियोग सहित अध्ययन।
 23. स्व. पं. अच्छन महाराज, स्व. पं. लच्छूमहाराज, एवं स्व. पं. शम्भू महाराज रूकमणी देवी अरुंदले, तंजोर ब्रदर्स की जीवनी एवं नृत्य में उनका योगदान।
 24. तालझपताल (10-मात्रा) एवं सूलताल (10-मात्रा) के ठेकों को ठाह, दुगुन, तिगुन, एवं चौगुन, में लिपिबद्ध करना तथा सीखे गये तोड़े, परन, कवित्त, आदि को भी लिपिबद्ध करने की क्षमता।
 25. निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों का परिचयात्मक ज्ञान ओडिसी, कुचिपुडी एवं मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथक।
 26. धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति।
 27. नाट्य, नृत्य और नृत्त के बीच अंतर।

आयुक्त
लोक शिक्षण

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- 3.2 (क) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (ख) शैक्षणिक अर्हता के आधार पर एक से अधिक पद की पात्रता परीक्षा हेतु विकल्प भरा जा सकेगा तथा प्रत्येक पद की पात्रता परीक्षा हेतु पृथक-पृथक प्रति प्रश्न-पत्र परीक्षा शुल्क देय होगा।
- (ग) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्न-पत्रों के विकल्प को चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये प्रश्न-पत्रों के लिये संबंधित योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- (घ) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये गये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा में निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (ङ) अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रमाण-पत्रों का परीक्षण या किसी भी तरह का सत्यापन बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा, यह पूर्णतः संबंधित विभाग द्वारा ही किया जायेगा।
- (च) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा यथास्थिति नियुक्ति करने के पूर्व शासन आदेशानुसार किया जायेगा।
- (छ) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/ चयन नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (ज) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
- 3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-
- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।
- 3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।
- 3.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर:-
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पीईबी/प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-
1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
 2. मानसिक रूप से संतभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएंबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
 3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित बोर्ड कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि बोर्ड स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	30 मिनट

- (iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

विभागीय नियमों के अनुसार : प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।

3.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- कोई भी विकल्प सही न हो।

- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.9

- ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_{i1} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_{i1} is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए मण्डल की वेबसाईट देखें)

3.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु पीईबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। वेबसाइट पर लिंक प्रदर्शित होने के तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.9 अ अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में -

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/ प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/रिपोर्टिंग को परेशान करना/अधिका/धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यू.एफ.एम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यू.एफ.एम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबंद किया जावेगा। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधि में अभ्यर्थी की आपराधिक संलिप्तता होने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यू.एफ.एम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. विभाग द्वारा द्वितीय परीक्षा, दस्तावेज के परिक्षण / सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाए जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को मण्डल स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परिक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता / परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाईट www.peb.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड की जाएँगी।

3.13 परीक्षा परिणाम :-

- (i) मण्डल द्वारा जारी किए जाने वाले परीक्षा परिणाम में लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर केवल आवेदकों का Qualified/Disqualified Status अंकित होगा। इस परिणाम में श्रेणीवार / संवर्गवार समेकित क्रम अंकित नहीं होगा।
- (ii) परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.peb.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.14 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

---x---

3.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण यथा (दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची) को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.17 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-01 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर-हस्तलिपि डेटा होने पर आवेदन पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियाँ व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.19 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक / आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 - परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 - चयनित अभ्यर्थियों का Biometric सत्यापन आवश्यकतानुसार विभाग स्तर पर ही किया जावेगा।
- पहचान पत्र के मीनू में मण्डल द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध Citizen Services (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत Application क्लिक कर PEB लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

(स) UPI / BHIM APP

3.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियाँ जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P.OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियम-पुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.30 पुनः गणना/पुनर्मूल्यांकन

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "Complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

खण्ड - स

3.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
30/01/2023	13/02/2023	15	30/01/2023	18/02/2023	20

3.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	25/04/2023	2.30 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:30 बजे तक	150
2	द्वितीय	से प्रारंभ	2.30 घंटे	दोपहर 02:00 से 04:30 बजे तक	150

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.34 (i) प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	fo Hko	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	मण्डल परीक्षा शुल्क	500/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	250/- प्रति प्रश्न पत्र	कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।
02	स्कूल शिक्षा विभाग शुल्क	100/- प्रति प्रश्न पत्र	50/- प्रति प्रश्न पत्र	50/- प्रति प्रश्न पत्र	
प्रति प्रश्न पत्र कुल शुल्क		600/- प्रति प्रश्न पत्र	300/- प्रति प्रश्न पत्र	300/- प्रति प्रश्न पत्र	

नोट:- म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 03.01.2020 एवं पत्र क्रं. एफ 1-179/2018/20-1 भोपाल, दिनांक 11.10.2021 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु "विभागीय शुल्क(ब)" बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जावेगा।

(ii) आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	20/-	40/-

3.35 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. बालाघाट	2. बैतूल	3. भोपाल	4. छिंदवाडा	5. ग्वालियर	6. इन्दौर
7. जबलपुर	8. कटनी	9. खण्डवा	10. मंदसौर	11. नीमच	12. रतलाम
13. रीवा	14. सागर	15. सतना	16. सीधी	17. उज्जैन	

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर, निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) मण्डल की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) मण्डल कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।

Madhy Pradesh Empllyees Selection Board, Bhopal
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e a v F l o k v a s h d s y / k q g L r k k e M u g h a g k s A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be

निर्देश / Instruction (फोटो / Photo)

फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्वघोषणा- / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्वघोषणा- / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/
Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3